UNITED BANK OF INDIA
Head Office
11, Hemanta Basu Sarani
Kolkata - 700001

Board Sec/Postal Ballot/308/2019

February 26, 2019

Corporate Relations Cell Bombay Stock Exchange Ltd. P.J. Tower, Dalal Street, Fort Mumbai - 400001	**Listing Department** National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, Plot – C/1, Block – G Bandra Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai – 400051
Scrip Code: UNITEDBNK (533171)	Scrip Code: UNITEDBNK

Dear Madam/Sir,

Sub: Postal Ballot Notice and Addendum thereto

In continuation to the communication dated February 25, 2019 pertaining to preferential allotment of equity shares to Government of India, Exchange(s) are further informed that the Bank proposes to seek the approval of the shareholders through postal ballot and e-voting for the purpose of creation, offering, issuance and allotment of such number of equity shares of Rs.10/- each, as may be required, at such price as may be determined in accordance with Regulation 164 under Chapter V of the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 ('SEBI ICDR Regulations'), to the President of India acting on behalf of the Government of India on preferential basis, in accordance with Chapter V of the SEBI ICDR Regulations against contribution of Central Government in the Preferential Allotment of equity shares aggregating Rs. 2839/- crore for cash.

Notice of Postal Ballot dated February 25, 2019 along with the Postal Ballot Form is enclosed herewith for kind perusal and records. Shareholders can exercise their voting rights either through postal ballot or e-voting as per the instructions contained in the Postal Ballot Notice.

In terms of addendum dated February 26, 2019 (enclosed), in continuation to the Notice of Postal Ballot dated February 25, 2019, we hereby inform the following:

(i) The issue price determined as on the Relevant Date i.e. February 26, 2019 in terms of the provisions of Regulation 164 of the SEBI ICDR Regulations is **Rs.11.03/- per equity share (including premium of Rs.1.03/- per share)**;

Head Office

UNITED BANK OF INDIA
Head Office
11, Hemanta Basu Sarani
Kolkata - 700001

(ii) At the above issue price, Bank would be **allotting up to 2,57,38,89,392 equity shares** of Face Value of Rs.10/- each to the President of India acting on behalf of the Government of India. The shareholding pattern of the Bank pre and post the proposed Preferential Allotment, would be as follows –

Sl. No.	Category	Before the Issue		After the Issue	
		No. of Shares held as on 25.02.2019	Shareholding %	No. of Shares	Shareholding %
A.	Promoter	4618836151	95.15	7192725543	96.83
B.	Non-Promoter	235194141	4.85	235194141	3.17
	Total	**4854030292**	**100.00**	**7427919684**	**100.00**

The submission may please be taken on record in terms of Regulation 30 and other applicable provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Thanking You,

Bikramjit Shom
Company Secretary & Compliance Officer

Encl(s): a. Notice of Postal Ballot dated February 25, 2019
b. Postal Ballot Form
c. Addendum to the Postal Ballot Notice dated February 26, 2019

पोस्टल बैलट की सूचना

NOTICE OF POSTAL BALLOT

आरंभ की तिथि / COMMENCES ON : बुधवार, 27 फरवरी, 2019 / Wednesday, February 27, 2019

अंतिम तिथि / ENDS ON : गुरुवार, 28 मार्च, 2019 / Thursday, March 28, 2019

युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया

UNITED BANK OF INDIA

प्रधान कार्यालय : युनाइटेड टॉवर

HEAD OFFICE : UNITED TOWER

11, हेमंत बसु सरणी, कोलकाता - 700001

11, Hemanta Basu Sarani, Kolkata- 700001

सामग्री

पृष्ठा संख्या

नोटिस1-10

CONTENTS

Page No.

Notice.....11-20

युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया / United Bank of India

प्रधान कार्यालय:11 हेमन्त बसु सरणी, कोलकाता - 700001 / **Head Office**:11, Hemanta Basu Sarani, Kolkata– 700001

दूरभाष /Telephone: (033) 2248 7471 **फैक्स/Fax:** (033) 2231 1704

वेबसाइट/Website: www.unitedbankofindi.com

पोस्टल बैलेट की सूचना

प्रिय शेयरधारक(को),

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि यह सूचना सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015, यथा संशोधित, और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 (जिसमें कोई सांविधिक संशोधन या किसी भी समय में लागू संशोधन या पुर्नधिनियमन शामिल है) के नियम 22 के अनुसार युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया ("बैंक") के शेयरधारकों की सहमति विशेष संकल्प द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (ई-वोटिंग) सहित पोस्टल बैलेट के माध्यम से प्राप्त करने हेतु जारी की गयी है।

प्रस्तावित विशेष संकल्प और स्पष्टीकरण वक्तव्य, भौतिक तथ्यों और इसका कारण बताते हुए यहां संलग्न किया जाता है।

बैंक ने मेसर्स एस एन अनंथसुब्रमनियण एंड कं, कंपनी सचिव, थाने,की श्रीमती मालती कुमार (सीओपी सं. 10980) या उनकी अनुपस्थिति में श्रीमती अश्वीनी वर्तक (सीओपी सं. 16723) को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पोस्टल बैलेट प्रक्रिया के संचालन हेतु संवीक्षक नियुक्त किया है ।

शेयरहोल्डर जो अपने वोटिंग अधिकार का प्रयोग पोस्टल बैलेट के माध्यम से करने के इच्छुक है, उनसे अनुरोध है कि वे सूचना एवं पोस्टल बैलेट फार्म में मुद्रित अनुदेशों एवं टिप्पणियों को ध्यान से पढें एवं पूरी तरह से भरे गए पोस्टल बैलेट फार्म संलग्न व्यवसाय उत्तर लिफाफा में संवीक्षक को संबोधित करते हुए कार्यकारी घंटे के समाप्ति के पूर्व, जो कि 5.00 अपराह्न है, गुरूवार, 28 मार्च, 2019 के पूर्व वापस करें। बैंक उसके लिए डाक व्यय वहन करेगा। शेयरधारक अपने खर्च पर भौतिक पोस्टल बैलेट फॉर्म भेजने के किसी भी अन्य तरीके का चयन कर सकते है।

बैंक, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करके विशेष प्रस्ताव पर मतदान के लिए ई-वोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध करा रहा है।

ई-वोटिंग सुविधा का चयन करने वाले इच्छुक शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे पोस्टल बैलेट सूचना के टिप्पणियों और ई-वोटिंग के लिए उसके अंतर्गत दिए गए अनुदेशों को पढ़ें। इस सूचना में पोस्टल बैलेट के संदर्भ में इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त वोट भी शामिल होगा।

संवीक्षक पोस्टल बैलेट की संवीक्षा पूरी करने के बाद प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एमडी और सीईओ) या निदेशक मंडल द्वारा यथा प्राधिकृत बैंक के किसी अन्य निदेशक को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी और पोस्टल बैलेट द्वारा वोटिंग का परिणाम शनिवार,30 मार्च, 2019 अपराह्न 5.00 वजे या उसके पूर्व बैंक के प्रधान कार्यालय में घोषित किया जायेगा और स्टॉक एक्सचेजों, बैंक के वेबसाइट www.unitedbankofindia.com पर एवं सीडीएसएल पर सूचित किया जाएगा।

पोस्टल बैलेट द्वारा मतदान बुधवार, 27 फरवरी, 2019 से शुरू होगा और गुरूवार, 28 मार्च, 2019 पर समाप्त होगा। विधिवत रूप से भरे गए पोस्टल बैलेट फॉर्म संवीक्षक के पास 05:00 बजे अपराह्न के पूर्व गुरूवार, 28 मार्च, 2019 तक पात्रता हेतु विचारार्थ पहुंच जाना चाहिए। उपरोक्त समय सीमा के बाद प्राप्त पोस्टल वैलेट को खारिज समझा जाएगा। ई-वोटिंग पोर्टल को सीडीएसएल द्वारा गुरूवार, 28 मार्च, 2019 को 05:00 वजे अपराह्न के तुरंत बाद अवरुद्ध कर दिया जाएगा।

विशेष संकल्प, यदि आवश्यक बहुमत से पारित किया गया, गुरूवार, 28 मार्च, 2019 को पारित किया गया माना जायेगा, जो कि पूर्णरूप से भरे गए पोस्टल बैलेट और ई-वोटिंग की प्राप्ति के लिए बैंक द्वारा तय की गई अंतिम तिथि है।

मद संख्या. 1

प्रीमियम सहित इस तरह के मूल्य पर सृजन, प्रस्ताव, जारी एव आबंटन करने हेतु अंकित मूल्य रू. 10/- प्रत्येक (रू.दस मात्र) के इक्विटी शेयरों की इतनी संख्या, यदि कोई हो, तो सेबी के विनियमन (जारी पूँजी एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2018 (सेवी आई सी डी आर विनियम) के अनुसार भारत सरकार की ओर से राष्ट्रपति को तरजीह के आधार पर कुल रू. 2,839 करोड़ से अधिक नहीं, विशेष संकल्प द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करने के लिए और यदि उपयुक्त समझा जाता है, तो उसे विशेष संकल्प के रूप में पारित करें –

"संकल्प किया जाता है कि बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 ("अधिनियम"), बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के अनुसार लागू प्रावधानों के अधीन एवं समय-समय पर संशोधित, युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बैठकें) विनियमन, 2010 ("बैंक विनियम"), (सेबी जारी पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, 2018 ("सेबी आईसीडीआर विनियम"), सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकता), विनियम, 2015 ("सेबी सूचीबद्धता विनियम") और इसमें कोई संशोधन या पुर्न-अधिनियमन, वित्त मंत्रालय का पत्र F. No. 7/23/2019-BOA-1, दिनांक 19 फरवरी, 2019 और 25 फरवरी, 2019 को निदेशक मंडल के अनुमोदन और भारत सरकार (जीओआइ), भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी), स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, और / या ऐसे अन्य प्राधिकरी, जो इस संबंध में आवश्यक और उपयोज्य हो सकते हैं, इस तरह के अनुमोदनों, स्वीकृतियों, संस्वीकृतियों और मानदंडों और बशर्ते इस तरह के नियमों और शर्तों और / या ऐसे अधिकारियों द्वारा ऐसे अनुमोदनों की मंजूरी देते समय कोई संशोधन, यथा निर्धारित और जिसके संबंध में बैंक का निदेशक मंडल सहमत हो सकता है (**"निदेशक मंडल"** इस संबंध में गठित या गठित की जाने वाली कोई **"समिति"** शामिल करेगा) इस तरह के अन्य अधिनियमों, नियमों, विनियमों, मार्गनिर्देशों, परिपत्रों, अधिसूचनाओं, निदेशों का समय-ममय पर यथा प्रयोज्य हो सकता है या इस तरह का कोई संशोधन या पुर्नअधिनियमन या उसका पुन: जारी किया जाना, बैंक के शेयरधारकों की सहमति से एतद द्वारा निदेशक मंडल के प्रस्ताव एवं भारत सरकार की ओर से राष्ट्रपति को आवंटन सृजन हेतु इस तरह के मूल्यों पर प्रत्येक को 10/- रुपये के इक्विटी शेयरों की संख्या सेबी आईसीडीआर विनियमों के अध्याय V के विनियमन 164 के अनुसार नकदी के लिए अधिमानी आधार पर, प्रीमियम सहित रू. 2,839 करोड़ (रूपये दो हजार आठसौ उनचालीम करोड़) से अधिक नहीं, नकदी के लिए अधिमानी आधार पर, प्रीमियम सहित निर्धारित किया जा सकता है।

इसके आगे संकल्प किया जाता है कि सेबी सीआईडीआर विनियमन के अध्याय V के अंतर्गत विनियमन 164 की शर्तों के अनुसार निर्गम कीमत के निर्धारण की अद्यतन तिथि मंगलवार, 26 फरबरी, 2019 है ।

इसके आगे संकल्प किया जाता है कि जारी किए जाने वाले ईक्यूटी शेयर सभी मामलों में बैंक के वर्तमान ईक्यूटी शेयर के साथ शामिल लाभांश के समरूप होंगे और दोनों नये जारी एवं निवेशक (कों) द्वारा धारित वर्तमान शेयर मेवी आईसीडीआर विनियमों के अध्याय V के विनियमन 167 के अंतर्गत यथा निर्धारित बशर्ते लॉक-इन आवश्यकता के अनुरूप होंगे और नये जारी ईक्विटी शेयरों को स्टॉक एक्सचेंज के उसी सूची में सूचीवद्ध किया जायेगा जहां बैंक के वर्तमान शेयर सूचीबद्ध किए जाते हैं।

इसके आगे संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से गठित या गठित होने वाली बोर्ड/समिति एतद द्वारा इस तरह के सभी कार्यों, व्यवहारों, तथ्यों एवं मामलें, जो अपने पूर्ण विवेक के अनुसार आवश्यक, उचित वांछनीय हो, उसके लिए प्राधिकृत करता है और किसी प्रश्न के समाधान, कठिनाई या संदेह, जो ईक्विटी शेयरों को जारी करने के संबंध में हो सकते है और इसके आगे इस तरह के सभी कार्यों, व्यवहारों, तथ्यों एवं मामलों को अंतिम रूप देने एवं सभी प्रलेखों के क्रियान्वयन एवं लिखत जो अपने पूर्ण विवेक के अनुसार आवश्यक, उचित, वांछनीय एवं समयोचित हो,बिना किसी आगे की सहमति की आवश्यकता के या शेयरधारकों के अनुमोदन या समाप्ति के लिए एवं इस उद्देश्य के लिए कि शेयरधारकों ने ऐसा अनुमोदन दिया होगा के संकल्प के प्राधिकार के माध्यम से स्पष्ट रूप से प्राधिकृत हो सकता है।

इसके आगे संकल्प किया जाता है कि निदेशक मंडल / समिति एतद द्वारा इसमें प्रदान की गई एक या किसी भी शक्तियों को प्रबंध निदेशक एवं सीईओ या कार्यकारी निदेशक(कों) या अन्य अधिकारियों को प्रत्यायुक्त करने हेतु उपर्युक्त संकल्प को प्रभावी बनाने हेतु प्राधिकृत किया जाता है

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते-**युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया**

ह./ -
बिक्रमजित सोम
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

दिनांक : 25 फरवरी, 2019
स्थान: कोलकाता

टिप्पण एवं अनुदेश

1. यह सूचना उन सभी शेयरधारकों को जिनका नाम भौतिक प्रकार में शेयर रखने वाले लोगों के लिए बैंक के शेयरधारकों के रजिस्टर में उल्लिखित है और डीमैट प्रकार में शेयर धारण करने वालों के लिए राष्ट्रीय प्रतिभूति निपेक्षागार लिमिटेड (एनएसडीएल) और सीडीएसएल से प्राप्त लाभार्थी मालिकों की सूची में, शुक्रवार, 22 फरवरी, 2019 (**कट ऑफ तिथि**) तक, या तो निपेक्षागार / बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, लिंक इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (बाद में "**आरटीए**" के रूप में जाना जाता है) के पास पंजीकृत ई-मेल आईडी पर ईमेल द्वारा या बैंक / आरटीए के साथ पंजीकृत पते पर पंजीकृत पोस्ट /स्पीड पोस्ट /कूरियर द्वारा भेजा जा रहा है। यह सूचना बैंक के वेबसाइट www.unitedbankofindia.com और सीडीएसएल के वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध होगा। वे व्यक्ति जो कट ऑफ तिथि तक शेयरधारक नहीं है, वे इस सूचना को केवल जनकारी के उद्देश्य से प्राप्त समझेंगे।

2. शेयरधारक मतदान के किसी एक प्रकार अर्थात भौतिक बैलट या ई-वोटिंग का चयन कर सकते है। यदि शेयरधारक अपना वोट दोनों प्रकार के माध्यम से डालते हैं, तो ई-वोटिंग द्वारा किया गया मतदान मान्य होगा और भौतिक पोस्टल बैलट के माध्यम से किया गया मतदान अमान्य माना जाएगा।

3. शेयरधारक पोस्टल वैलट पर प्रॉक्सी द्वारा अपना मतदान नहीं कर सकते है।

4. संस्थागत शेयरधारक (अर्थात व्यक्ति, एचयूएफ, एनआरआई इत्यादि के अलावा) विधिवत प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के प्रमाणित नमूना हस्ताक्षर (रों) सहित बोर्ड रिज़ॉल्यूशन / अथॉरिटी लेटर आदि की प्रमाणित सत्य प्रति के साथ संविक्षक को संबोधित संलग्न बिजनेस उत्तर लिफाफा में विधिवत पूर्ण पोस्टल बैलट फॉर्म भेजेंगे जो मतदान देने के लिए प्राधिकृत हैं।

 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए शेयरधारक इस सूचना में 'ई-वोटिंग' अनुभाग के तहत निर्देश सं. 17 का उल्लेख कर सकते हैं।

5. पोस्टल बैलट और ई-वोटिंग द्वारा मतदान के लिए वोटिंग की पात्रता हेतु निर्धारित कट ऑफ तारीख शुक्रवार 22 फरवरी, 2019 है। शेयरधारक द्वारा धारित प्रत्येक शेयर कट-ऑफ तिथि तक एक वोट धारण करेगा।

6. एक से अधिक फोलियो / डीमैट खातों वाले शेयरधारकों को प्रत्येक फोलियो / डीमैट खाते के लिए अलग-अलग मतदान प्रक्रिया का चयन करना होगा। अधिनियम की धारा 3(2 ई) के संदर्भ में, भारत सरकार के अलावा किसी भी शेयरधारक को बैंक की कुल प्रदत शेयर पूंजी का 10% से अधिक वोटिंग अधिकारों का उपयोग करने की अनुमति नहीं है।

7. पोस्टल बैलट फॉर्म के माध्यम से अपने वोट का उपयोग करने वाले शेयरधारकों को इस सूचना के साथ संलग्न बिजनेस उत्तर लिफाफा (पोस्टेज भुगतान) का उपयोग करें और इसे पोस्ट द्वारा भेजने से पहले इसे विधिवत सील करें। पोस्टल बैलट फॉर्म वाले मुहरबंद लिफाफे भी स्वीकार किए जाएंगे यदि शेयरधारक की व्यय पर किसी अन्य प्रकार अर्थात कूरियर, स्पीड पोस्ट इत्यादि द्वारा भेजा गया है। भौतिक पोस्टल बैलट फॉर्म में मतदान करने की इच्छा रखने वाले शेयरधारक ई-मेल द्वारा यह सूचना प्राप्त करता है तो वे उक्त फॉर्म को बैंक के वेबसाइट www.unitedbankofindia.com से डाउनलोड कर सकते हैं और इसे अपनी लागत पर लिंक इनटाइम इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, युनीट: युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, सी-101, 247 पार्क, एल. बी. एस. मार्ग, मुम्बई-400 083 पर भेज सकते हैं।

8. पोस्टल बैलट फॉर्म में उचित कॉलम पर टिक मार्क (✓) लगाकर 'मैं/हम संकल्प की सहमति देता हूँ/देते हैं (के लिए)' कॉलम में स्वीकृति या 'मैं/हम संकल्प की असहमति देता हूँ/देते है (विरुद्ध)' कॉलम में अस्वीकृति को रिकॉर्ड कर अपनी सहमति या असहमति प्रदान करें। किसी अन्य प्रारूप में प्राप्त स्वीकृति या अस्वीकृति को वैध नहीं माना जाएगा।

9. आरटीए के पास पंजीकृत नमूना हस्ताक्षर के अनुसार शेयरधारक द्वारा पोस्टल बैलट फॉर्म पर हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।

10. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे पोस्टल बैलट फॉर्म को आमिट स्याही से भरें और पेंसिल जैसे मिटने योग्य लेखन माध्यमों का उपयोग न करें।

11. यदि शेयर संयुक्त रूप से धारण किए गए हैं, तो पोस्टल बैलट फॉर्म को प्रथम नामित संयुक्तधारक द्वारा पूर्ण एवं हस्ताक्षरित किया जाएगा। पावर ऑफ अटॉर्नी (पीओए) धारक बैंक /आरटीए के पास पंजीकृत पीओए की पंजीकरण संख्या को पोस्टल बैलट फॉर्म पर उल्लेख करते हुए मतदान कर सकते हैं या पीओए की नोटराइज्ड प्रति संलग्न कर सकते हैं।

12. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे संविक्षक को संबोधित संलग्न बिजनेस उत्तर लिफाफा के अंदर पूर्ण पोस्टल बैलट फॉर्म के साथ कोई भी अन्य दस्तावेज (उल्लिखित बोर्ड के संकल्प /प्राधिकरण पत्रों के अलावा) न भेजें । यदि ऐसे किसी भी लिफाफे में किसी भी असंगत दस्तावेज पाया जाता है, तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा और संविक्षक द्वारा उसे नष्ट कर दिया जाएगा।

13. संयुक्त शेयरधारकों की अधिसंख्या के बावजूद प्रत्येक फोलियो / क्लाइंट आईडी के लिए केवल एक पोस्टल बैलट फॉर्म होगा।

14. पोस्टल बैलट फॉर्म को अमान्य माना जाएगा यदि (i) यह अहस्ताक्षरित / अपूर्ण है (ii) न तो स्वीकृति और न ही अस्वीकृति का उल्लेख किया गया है (iii) सदस्य की स्वीकृति या अस्वीकृति को निसंदेह निर्धारित करना संभव नहीं है (iv) एक सक्षम प्राधिकारी ने शेयरधारक के वोटिंग अधिकारों को अपने पास रखने के लिए बैंक को लिखित निर्देश दिए है (v) यह इस तरह से विकृत या विचलित है कि इसकी वास्तविक फॉर्म की पहचान स्थापित नहीं की जा सकती है; (vi) शेयरधारक ने यहां किए गए संकल्प में कोई संशोधन किया है या अपने मतदान का उपयोग करते समय किसी शर्त को लगाया है; और /या (vii) बैंक द्वारा जारी किए गए फॉर्म के अलावा किसी अन्य फॉर्म का उपयोग किया जाता है;

15. एक पूर्ण पोस्टल बैलट फॉर्म की वैधता पर जांचकर्ता का निर्णय अंतिम होगा।

16. यदि आवश्यक हो तो शेयरधारक, बैंक के शेयर विभाग एवं निवेशक शिकायत कक्ष, चौथा तल, प्रधान कार्यालय, 11, हेमंत बसु सरणी, कोलकाता-700 001 को या ई-मेल investors@unitedbank.co.in पर डुप्लिकेट पोस्टल बैलट फॉर्म के लिए अनुरोध कर सकते हैं। विधिवत पूर्ण की गई डुप्लिकेट फॉर्म जांचकर्ता तक प्राप्ति की अंतिम तारीख गुरूवार, 28 मार्च, 2019 को 05:00 बजे अपराह्न तक अवश्य पहुंच जाना चाहिए।

17. **ई-वोटिंग:**

ई-वोटिंग अवधि बुधवार, 27 फरवरी, 2019 को 10.00 बजे पूर्वाहन शुरू होगी और गुरुवार, 28 मार्च, 2019 को 5.00 बजे अपराह्न समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान बैंक के शेयरधारक, जो कट ऑफ तारीख तक भौतिक फॉर्म या डिमैटरियलाइज्ड फॉर्म में शेयरों धारण किए हैं, वे अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से डाल सकते है। इसके बाद वोट के लिए रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को सीडीएसएल द्वारा अक्षम कर दिया जाएगा।

इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करने हेतु शेयरधारकों के लिए निम्नलिखित अनुदेश है :-

(i) ई-मतदान के वेबसाइट www.evotingindia.com पर लॉगिन करें।

(ii) **"शेयरहोल्डर्स / मेम्बर्स"** पर क्लिक करें ।

(iii) अपना **यूजर आईडी** दर्ज करें।

क. सीडीएसएल के लिए: 16 अंकों का बेनिफीसरी आईडी

ख. एनएसडीएल के लिए: 8 अंकों के क्लाईंट आईडी के बाद 8 अक्षर डीपी आईडी

ग. भौतिक फॉर्म में शेयर धारण करने वाले सदस्य बैंक के पास पंजीकृत फोलियो नं. दर्ज करें।

(iv) अब प्रदर्शित हुए **इमेज वेरीफिकेशन** को दर्ज करें और **"लॉगिन"** पर क्लिक करें।

(v) यदि आप डीमैट फॉर्म में शेयर धारण करते हैं और आपने www.evotingindia.com पर लॉगिन करके हाल ही में किसी भी कंपनी/ संस्था के लिए मतदान किया है, तो आपके मौजूदा पासवर्ड का उपयोग किया जा सकता है।

(vi) यदि आप प्रथम उपयोगकर्ता हैं तो निम्नलिखित निदेशों का पालन करें:
उचित बॉक्स में निम्नलिखित विवरणों को भरें:

डीमैट फॉर्म एवं भौतिक फॉर्म में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों के लिए

पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी किए गए अपने 10 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक पैन की प्रविष्टि करें (भौतिक शेयरधारकों के साथ-साथ डीमैट शेयरधारकों दोनों के लिए लागू) ● जिन सदस्यों ने बैंक / डिपोजिटरी पार्टीसिपेंट के पास अपने पैन को अद्यतन नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे अपने **नाम के पहले दो अक्षरों का उपयोग करें और पैन फिल्ड में 8 अंकों के क्रमानुसार संख्या का उपयोग करें**। ● **क्रमानुसार संख्या के 8 अंकों से कम होने के मामले मं शेयरधारक स्पष्ट अक्षरों में नाम के पहले दो अक्षरों के बाद जितने 0 की प्रविष्टि आवश्यक है उसे दर्ज करें**। अर्थात यदि आपका नाम क्रम संख्या 1 के साथ रमेश कुमार है तो पैन फील्ड में RA00000001 प्रविष्ट करें।
लाभांश बैंक विवरण या जन्म तिथि	**लॉगिन करने के क्रम में आपके डीमैट खाते या बैंक रिकॉर्ड में किए गए रिकॉर्ड के अनुसार लाभांश बैंक विवरण या जन्म तिथि** (दिन/माह/वर्ष प्रारुप में) को दर्ज करें । ● यदि दोनों विवरण डिपॉजिटरी या बैंक के पास रिकॉर्ड नहीं किया हुआ है, तो कृपया अनुदेश (iii) के अनुसार लाभांश बैंक विवरण फिल्ड में अपनी सदस्यता आईडी/ फोलियो संख्या की प्रविष्टि करें ।

(vii) उचित रूप से इन विवरणों को भरने के बाद **"सबमिट"** टैब पर क्लिक करें।

(viii) भौतिक फॉर्म में शेयर रखने वाले सदस्य सीधे कंपनी चयनित स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे। हालांकि, डीमैट फॉर्म में शेयर रखने वाले सदस्य अब 'पासवर्ड क्रियेसन मेन्यु' तक पहुंच जाएंगें जिसमें उन्हें अनिवार्य रूप से नया पासवर्ड क्षेत्र में अपना लॉगिन पासवर्ड प्रविष्टि करने की आवश्यकता होगी। कृपया ध्यान दें कि किसी भी अन्य कंपनी /संस्था के संकल्पों के लिए मतदान के लिए डीमैट धारक द्वारा इस पासवर्ड का भी उपयोग किया जाएगा। जिसपर वे मतदान करने के पात्र हैं। बशर्ते कि कंपनी/संस्था सीडीएसएल प्लेटफार्म के माध्यम से ई-मतदान के विकल्प का चयन करता हो । यह दृढंतापूर्वक अनुशंसा की जाती है कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपने पासवर्ड को साझा न करें और अपना पासवर्ड गोपनीय रखने के लिए भरसक प्रयास करें।

(ix) भौतिक फॉर्म में शेयर धारण करने वाले सदस्यों के लिए इस विवरण को केवल इस सूचना में शामिल संकल्पों पर रिमोट ई मतदान के लिए उपयोग किया जा सकता है।

(x) **युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया** को वोट करने हेतु **ईवीएसएन** पर क्लिक करें।

(xi) मतदान पृष्ठ पर आप **"रिजोल्यूशन डिस्कृपशन"** देखेंगे और उसी के एवज में मतदान के लिए **"हाँ"** या **"नहीं"** विकल्प होगा। अपने इच्छा अनुसार विकल्प **"हाँ"** या **"नहीं"** का चयन करें। विकल्प **"हाँ"** का तात्पर्य रिजोल्यूशन पर आपकी स्वीकृति और विकल्प **"नहीं"** का तात्पर्य रिजोल्यूशन पर आपकी अस्वीकृति से है।

(xii) यदि आप पूरे रिजोल्यूशन ब्यौरा को देखना चाहते हैं तो **"रिजोल्यूशन फाइल लिंक"** पर क्लिक करें।

(xiii) रिजोल्यूशन का चयन करने के बाद आप वोट करने का फैसला किया है, तो **"सबमिट"** पर क्लिक करें। एक पुष्टि वॉक्स प्रदर्शित किया जाएगा। यदि आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते है, तो **"ओके"** पर क्लिक करें और अपने वोट को वदलने के लिए **"कैंसल"** पर क्लिक करें और तदनुसार अपने वोट को संशोधित करें।

(xiv) रिजोल्यूसन पर एक बार आप अपना वोट **"कनफर्म"** कर देते है, तो आपको अपने वोट को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(xv) वोटिंग पृष्ठ पर **"क्लिक हियर टू प्रिंट"** विकल्प पर क्लिक कर आप अपने द्वारा किये गये मतदान का प्रिंट आउट ले सकते है।

(xvi) यदि डीमैट खाताधारक अपना पासवर्ड भूल गए हों तो वह अपना यूजर आईडी और इमेज सत्यापन कोड दर्ज करेगा और **"फोर्गेट पासवर्ड"** पर क्लिक करेगा और प्रणाली द्वारा मांगा गया विवरण दर्ज करेगा।

(xvii) ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन सही पासवर्ड के साथ कुंजीपट्टल पर पांच असफल प्रयासों के बाद अक्षम हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आपको इसे रीसेट करने के लिए वेबसाइट पर उपलब्ध 'फोर्गोट पासवर्ड' विकल्प पर जाने की आवश्यकता होगी।

(xviii) आपकी लॉगिन आईडी और मौजूदा पासवर्ड उस कंपनियों द्वारा लाये गए रिजोल्यूशन (ओं) के ई वोटिंग के लिए विशेष रूप से किया जा सकता है, जिनमें आप शेयरधारक है।

(xix) सदस्यगण सीडीएलएस के मोबाइल ऐप **"एम वोटिंग"** का उपयोग करके भी अपना मतदान कर सकते हैं। एम वोटिंग ऐप को क्रमशः गूगल प्ले स्टोर, ऐप्प स्टोर और एन्ड्रायेड के लिए विंडोज फोन स्टोर, आईओएस और विंडोज उपयोगकर्ता से डाउनलोड किया जा सकता है।

(xx) **गैर व्यक्तिगत सदस्यों और संरक्षकों के लिए टिप्पण**

- गैर व्यक्तिगत सदस्यों (अर्थात व्यक्ति, एचयूएफ, एनआरआई इत्यादि के अलावा) और संरक्षक को www.evotingindia.com पर लॉगिन करने की आवश्यकता होगी और स्वयं को कॉर्पोरेट के रूप में पंजीकृत करेंगे।
- संस्था के मुहर और हस्ताक्षर वाले पंजीकरण फार्म की स्कैन की हुई प्रति को helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई मेल किया जाना चाहिए।
- लॉगिन ब्यौरा प्राप्त होने के बाद प्रशासनिक लॉगिन तथा पासवर्ड का उपयोग करते हुए एक अनुपालन यूजर बनाए। अनुपालन यूजर खाता (ओं) को लिंक करने में सक्षम होंगे, जिसपर वे वोट देना चाहते है।
- खातों की सूची helpdesk.evoting@cdslindia.com पर मेल की जाएगी और खातों के अनुमोदन होने पर वे अपने वोट देने में सक्षम हो जाएंगे।
- संरक्षक के पक्ष में जारी किए गए बोर्ड संकल्प या पॉवर अटार्नी (पीओए) की स्कैन प्रति, यदि कोई हो, तो इसे सत्यापित करने हेतु जांचकर्ता के लिए प्रणाली में पीडीएफ प्रारूप में अपलोड किया जाना चाहिए ।

(xxi) ई वोटिंग और लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड बनाने के संबंध में यदि आपके पास कोई मुद्दा /प्रश्न है तो आप **www.evotingindia.com** पर हेल्प खंड में उपलब्ध एफएक्यू और ई वोटिंग मैनुअल का संदर्भ ले सकते है या **18002005533** पर **सीडीएसएल ई वोटिंग हेल्प डेस्क** से संपर्क कर सकते है या **helpdesk.evoting@cdslindia.com** पर ई मेल का सकते हैं या **श्री मलय बिश्वास**, क्षेत्रीय प्रमुख, सीडीएसएल, 22 कैमक स्ट्रीट, ब्लॉक ए, प्रथम तल, कोलकाता – 700016 या **helpdesk.evoting@cdslindia.com** या निवारण हेतु **9073980266** से संपर्क कर सकते हैं।

व्याख्यात्मक विवरण

इस इश्यू का पृष्ठभूमि और उद्देश्य:

बैंक बैंकिंग एवं संबंधित गतिविधियों के व्यवसाय करता है। वर्तमान में, बैंक की प्राधिकृत पूंजी 8500 करोड़ रुपये है। 31 दिसम्बर, 2018 तक बैंक की प्रदत इक्विटी शेयर पूंजी 3036.69 करोड़ रुपये थी। जिसमें 2801.49 करोड़ रुपये भारत सरकार द्वारा धारित है। बैंक की कुल प्रदत पूंजी का 92.25% निर्मित करता है।

31 दिसम्बर, 2018 को भारत सरकार में बैंक की इक्विटी पूंजी में रु. 2159 करोड़ का निवेश किया जिसके बदले में बैंक ने भारत सरकार को 11 फरवरी, 2019 को 1,81,73,40,067 इक्विटी शेयर आवंटित किये। इस आवंटन के पश्चात बैंक की प्रदत इक्विटी शेयर पूंजी रु. 4854.03 करोड़ हैं जिसमें रु. 4618.83 करोड़, यानि बैंक की कुल प्रदत पूंजी का 95.15% भारत सरकार द्वारा धारित हैं।

इसके अलावा चालू वित्त वर्ष के दौरान बैंक ने युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया कर्मचारी शेयर खरीद योजना, 2018 के कार्यान्वयन के द्वारा बैंक के पात्र कर्मचारियों को 2,92,02,589 इक्विटी शेयर आबंटित कर अब तक 30.81 करोड़ रुपये जुटाए हैं।

पिछले वित्तीय वर्ष में उत्तरदायी और जिम्मेदार पीएसबी के लिए सुधार एजेंडा हेतु बैंक की वचनबद्धता के आधार पर, उद्यमीमित्र (एमएसएमई के उद्देश्य से) के रूप में ग्राहक जवाबदेही, बैंकिंग जिम्मेदारी, क्रेडिट ऑफ-टेक, पीएसबी को कवर करते हुए उन्नत पहुंच एवं सेवा उत्कृष्टता (ईएएसई) के उद्देश्य से, केंद्र सरकार के ब्रांड पीएसबी के लिए कर्मियों के विकास से वित्तीय समावेशन एवं डिजिटलीकरण और परिणाम (एचआर) को सुनिश्चित कर मजबूत बनाने के लिए प्रीमियम सहित रु.18.22/- प्रति शेयर की मूल्य पर प्रति 10/- रुपये की 144,56,64,105 इक्विटी शेयरों का वरीयतापूर्ण आबंटन के एवज में 2634 करोड़ रुपये की राशि लागायी गई है।

पूंजीगत आवश्यकताओं को संरक्षित करने के उद्देश्य से 31.03.2019 तक जोखिम आधारित आस्तियों को कम कर 58000 करोड़ रुपये से 62000 करोड़ रुपये के बीच रखने के लिए अपने प्रमोटर की सिफारिशों के अनुरूप बैंक के विचारणीय निर्णय को ध्यान में रखते हुए बैंक को आरबीआई के त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) ढांचे के अंतर्गत रखा गया, बैंक ने अपने आरडब्ल्यूए के स्तर को मार्च 31, 2018 को रु. 63542 करोड़ के स्तर से 31 दिसम्बर, 2018 को रु. 59299 करोड़ तक घटाया है। परिणाम स्वरूप बैंक का लोन बुक 31 मार्च, 2018 के रु. 68692 करोड़ की तुलना में रु. 69286 करोड़ पर स्थिर रहा जिसकी वजह से लाभ प्रदता पर इसका असर पड़ा। 31 दिसम्बर, 2018 को समाप्त अवधि के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय परिणामों के अनुसार बैंक ने नियामक बेंचमार्क सीआरएआर 10.875% (सीसीबी सहित) के एवज में बेसल-III पूंजी मानदंडों के तहत टायर -1 पूंजी अनुपात 7.10% और जोखिम आधारित आस्तियाँ अनुपात (सीआरएआर) के कुल पूंजी 9.99% रिपोर्ट किया है।

अर्थव्यवस्था के साथ-साथ बैंकिंग क्षेत्र में हालिया विकास के संदर्भ में बॉन्ड उपज में अस्थिरता, बिजली क्षेत्र में निरंतर दबाव और एनबीएफसी क्षेत्र में हालिया दबाव, वे सभी जिनमें बैंक के पास पर्याप्त एक्सपोजर था, एनसीपी खातों के संदर्भ में फ्रेश स्लिपेज के माइग्रेशन सहित इंसोल्वेंसी एवं बैंकरप्टसी कोड, 2016 के अंतर्गत संकल्पों के लिए एनसीएलटी हेतु अधिक प्रावधान की आवश्यकताएं, मार्च 2019 तक आईएफआरएस लेखांकन मानदंडों में परिवर्तन,बॉन्ड पर कूपन का भुगतान और बैंक की पूंजीगत आधार को मजबूत करने की आवश्यकता को इसके दीर्घकालिक व्यापार योजनाओं के समर्थन करने और बेसल-III पूंजी मानदंडों के सभी पारामीटरों को अनुपालन में रखने के लिए बैंक ने केंद्र सरकार से 2,800 करोड़ रुपये की बैंक में कॉमन इक्विटी पूंजी लगाने के लिए अनुरोध किया था जो इसके भविष्य के विकास हेतु प्रोत्साहन के साथ-साथ सुचारुप से परिचालन को सुनिश्चित करेगा ।

इसके उत्तर में, भारत सरकार ने अपने पत्र F. No. 7/23/2019-BOA-1, दिनांक 19 फरवरी, 2019 के द्वारा अधिमानी आबंटन के माध्यम से बैंक के कॉमन इक्विटी पूंजी में रु. 2,839 करोड़ तक की पूंजी लगाने की अपनी मंशा को सूचित किया है जिसका उपयोग बैंक द्वारा अपने टायर -1 पूंजी और समस्त सीआरएआर स्थिति को बढ़ाने के लिए किया जाएगा।

ये समस्त अधिमानी इश्यू के अनुपालन के लिए भारत सरकार, बैंक के प्रमोटर को आवंटित किया गया है।

चूंकि समस्त इश्यू को भारत सरकार, बैंक के अधिकतर शेयरधारकों और प्रमोटरों के लिए बनाया जाना है, इस इश्यू के बाद इसके नियंत्रण में कोई बदलाव नहीं होगा।

इस इश्यू मूल्य को इस तिथि तक संशोधित के अनुरूप सेबी आईसीडीआर विनियमों के अध्याय ६ के तहत विनियमन 164 के अनुसार निर्धारित किया जाएगा । इश्यू मूल्य की गणना के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक तिथि मंगलवार, 26 फरबरी, 2019 है (अर्थात विशेष प्रस्ताव के पारित होने की तारीख से 30 दिन पहले)। चूंकि विशेष प्रस्ताव पोस्टल बैलट के माध्यम से पारित किया जाएगा, विधिवत पूर्ण पोस्टल बैलट फॉर्म या ई-वोटिंग की प्राप्ति के लिए निर्धारित अंतिम तिथि अर्थात, गुरूवार, 28 मार्च, 2019 को तदनुसार इस संकल्प को पारित तारीख समझा जाएगा। इस इश्यू मूल्य की प्रासंगिक तिथि अर्थात मंगलवार, 26 फरबरी, 2019 पर गणना की जाएगी और इसे अंग्रेजी, बंगाली और हिंदी समाचार पत्र में विज्ञापन द्वारा शेयरधारकों के लिए अधिसूचित किया जाएगा और बीएसई लिमिटेड तथा भारतीय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड को प्रसारित किया जाएगा और बैंक तथा ई-वोटिंग एजेंसी अर्थात सीडीएसएल की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।

अधिमान्य इश्यू के पहले का शेयरहोल्डिंग पैटर्न:

क्र. सं..	श्रेणी	इश्यू के पहले	
		शेयरों की संख्या	शेयरधारित %
क.	**प्रमोटर** भारत सरकार	4618836151	95.15
ख.	**गैर प्रमोटर** लोक धारित शेयर	235194141	4.85
	कुल	**4854030292**	**100.00**

इश्यू मूल्य और भारत सरकार को आबंटित किए जाने वाले शेयरों की संख्या, बैंक के निर्धारण के पश्चात पोस्ट इश्यू शेयरहोल्डर को समाचार पत्र विज्ञापन, स्टॉक एक्सचेंज प्रसार के माध्यम से और बैंक तथा उक्त सीडीएसएल की वेबसाइटों पर अपलोड कर केअधिसूचित किया जाएगा।

सेबी आईसीडीआर विनियमन के अध्याय v के अनुसार अधिमान्य आबंटन किया जाएगा।

निदेश मंडल ने 25 फरवरी, 2019 को अधिमानी आवंटन द्वारा पूंजी जुटाने एवं इस हेतु पोस्टल बैलट के परिचालन का अनुमोदन किया।

सेबी आईसीडीआर विनियमन के विनियम 163(1)(ई) एवं विनियम 170 के संदर्भ में, उपर्युक्त विशेष प्रस्ताव के अनुसार में आबंटन इस संकल्प के पारित होने की तारीख से 15 (पंद्रह) दिनों की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा। यह हर नियामक प्राधिकरण या केंद्र सरकार से अनुमोदन या अनुमतियों की प्राप्ति के अधीन होगा। यदि इस आबंटन के लिए आवश्यक कोई अनुमोदन लंबित रहता है, तो पंद्रह दिनों की इस अवधि को अनुमोदन या अनुमति की तारीख से गिना जाएगा, जैसा स्थिति हो।

बैंक सेबी आईसीडीआर विनियमन के प्रावधानों के संदर्भ में इक्विटी शेयरों की मूल्य को पुन: गणना करने का प्रयास करता है जहां इसे करने की आवश्यकता होती है। यदि सेबी आईसीडीआर विनियमन में निर्धारित समय के भीतर मूल्य की पुनर्गणना के कारण देय राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो निर्दिष्ट प्रतिभूतियां तब तक लॉकड इन रहेंगी जब तक केंद्र सरकार द्वारा इस राशि का भुगतान नहीं किया जाता है।

भारत सरकार को आबंटित समस्त इक्विटी शेयरों को डिमैटरियलाइज्ड फॉर्म में रखा जाएगा।

सेबी आईसीडीआर विनियमन के विनियम 167(6) के अनुसार, भारत सरकार के समस्त पूर्व-अधिमान्य होल्डिंग्स को वर्तमान अधिमान्य आबंटन के अंतर्गत आबंटित शेयरों के लिए ट्रेडिंग अनुमोदन की तारीख से 6 माह तक प्रासंगिक तिथि से लॉक्ड इन कर दिया जाएगा। विनियमन 167 (1) के मामले में, भारत सरकार को आवंटित नये शेयर, वर्तमान अधिमानी आवंटन के तहत आवंटित शेयरों के लिए

ट्रेडिंग अनुमोदन की तारीख से 3 साल की अवधि के लिए बंद कर दिया जाएगा जो बैंक की प्रदत पूंजी का अधिकतम 20% होगा और प्रदत पूंजी के 20% से अधिक आवंटित किए गए शेयरों को ट्रेडिंग अनुमोदन की तारीख से 1 वर्ष तक के लिए बंद कर दिया जाएगा।

बैंक के इक्विटी शेयरों को छ: सप्ताह से अधिक के लिए सूचीबद्ध किया गया है और तदनुसार, सेबी आईसीडीआर विनियम के विनियमन 164 (3) और 167 (5) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

बैंक के इक्विटी शेयरों का अधिकतर कारोबार स्टॉक एक्सचेंज पर किया जाता है, जिस पर वे सूचीबद्ध हैं अर्थात नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड।

सेबी आईसीडीआर विनियम के विनियमन 163 (2) के तहत आवश्यक लेखा परीक्षकों का प्रमाण पत्र संगत तिथि 26 फरवरी, 2019 को या उसके बाद जारी किया जाएगा और पोस्टल बैलेट के तहत मतदान पूर्ण होने के तिथि तक सभी कार्य दिवसों पर बैंक के प्रधान कार्यालय, 11, हेमंत बसु सरणी, कोलकाता - 700001 में 12.00 (अपराह्न) से 04.00 (अपराह्न) के बीच निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। लेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र बैंक की वेबसाइट - www.unitedbankofindia.com और सीडीएसएल www.evotingindia.com की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाएगा।

भारत सरकार द्वारा धारित सभी शेयर अमुर्तिकृत रूप में है और बैंक, सेबी सूचीबद्ध विनियमन के तहत निर्धारित इक्विटी शेयरों की निरंतर सूचीबद्धता की शर्तों के अनुपालन करता है।

भारत सरकार ने संगत तिथि के पूर्ववर्ती 6 महीने के दौरान बैंक के किसी भी इक्विटी शेयर को नहीं बेचा है।

न तो बैंक न ही कोई निदेशक या प्रमोटर ईरादतन चूककर्ता है या भगोड़ा आर्थिक अपराधी है।

सेबी सूचीबद्ध विनियम के विनियमन 41(4) और सेबी आईसीडीआर विनियम के अध्याय ङ के मामले में, बैंक अधिमानी आधार पर भारत सरकार से इक्विटी शेयरों के प्रस्तावित मुद्दे के लिए विशेष संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों की मंजूरी मांगता है।

प्रस्तावित विशेष संकल्प, यदि पारित किया गया, तो उल्लिखित निर्गमन (जारी) और आवंटन करने के लिए बैंक के निदेशक मंडल को अधिकृत किया जाएगा। इस मुद्दे की शर्तों को अंतिम रूप देने के लिए बोर्ड को पर्याप्त लचीलापन और विवेक पूर्ण अधिकार प्रदान करने की उपर्युक्त समर्थकारी संकल्प की अतएव सिफारिश की जाती है। अत: उपर्युक्त प्रस्ताव के लिए आपकी सहमति का अनुरोध किया गया है।

बैंक के किसी भी निदेशक या बैंक के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, संबद्ध या रुचि, वित्तीय या अन्यथा, उपरोक्त विशेष प्रस्ताव को पारित करने में नहीं रखते हैं, बैंक में उनके शेयरहोल्डिंग, यदि कोई हो, को छोड़कर।

अतिरिक्त टिप्पणी:

वर्तमान में केंद्र सरकार, बैंक के प्रमोटर बैंक के प्रदत शेयर पूंजी का 75% से अधिक इक्विटी शेयर अपने पास धारण करता है इस लिए सैबी (सबस्टानशीयल अक्वीसीसन आफ शेयर्स एण्ड टेकओवर) रेगुलेशनम 2011 के तहत सार्वजनिक घोषणा करने की आवश्यकता नहीं है। बैंक उचित समय पर भारत सरकार की हिस्सेदारी को कम करने की उम्मीद रखता है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते- **युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया**

ह./ -
बिक्रमजित सोम
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

दिनांक : 25 फरवरी, 2019
स्थान: कोलकाता

युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया / United Bank of India

प्रधान कार्यालय:11 हेमन्त बसु सरणी, कोलकाता - 700001 / **Head Office**:11, Hemanta Basu Sarani, Kolkata– 700001

दूरभाष /Telephone: (033) 2248 7471 **फैक्स/Fax:** (033) 2231 1704

वेबसाइट/Website: www.unitedbankofindia.com

NOTICE OF POSTAL BALLOT

Dear Shareholder(s),

NOTICE IS HEREBY GIVEN pursuant to SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended and Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force) to seek consent of Shareholders of United Bank of India (hereinafter referred to as "the Bank") to pass the Special Resolution by way of Postal Ballot including voting by electronic means ("e-voting").

The proposed Special Resolution and Explanatory Statement, stating the material facts and reasons thereof are annexed hereto.

The Bank has appointed Smt. Malati Kumar (COP No. 10980) or failing her Smt Ashwini Vartak (COP No. 16723) of M/s S. N. Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries, Thane as Scrutinizer for conducting the Postal Ballot process in a fair and transparent manner.

Shareholders desiring to exercise their voting right through Postal Ballot are requested to carefully read the notes and instructions printed in this Notice and in the Postal Ballot Form and return the Postal Ballot Form duly completed in the enclosed Business Reply Envelope addressed to the Scrutinizer not later than close of working hours i.e. 5.00 P.M., on Thursday, March 28, 2019. The Bank shall bear the postal charges for the same. Shareholders at their own expenses may select any other modes of sending the physical Postal Ballot Forms.

The Bank is also providing e-voting facility for voting on the Special Resolution using the e-voting platform of Central Depository Services (India) Limited (CDSL).

Shareholders desiring to opt for e-voting facility are requested to read the notes to the Postal Ballot Notice and instructions given thereunder for e-voting purpose. References to Postal Ballot in this Notice shall include votes received electronically.

The Scrutinizer will submit her report to the Managing Director & Chief Executive Officer ("MD&CEO") or any other Wholetime Director of the Bank as authorized by the Board of Directors after completion of the scrutiny of the Postal Ballots and the result of the voting by Postal Ballot will be announced on or before 5.00 P.M., Saturday, March 30, 2019 at the Bank's Head Office and intimated to the stock exchanges and hosted on the website of the Bank, www.unitedbankofindia.com and CDSL.

Voting by Postal Ballot shall commence on Wednesday, February 27, 2019 and end on Thursday, March 28, 2019. Duly completed Postal Ballot Form should reach the Scrutinizer not later than 05:00 P.M. on Thursday, March 28, 2019 to be eligible for being considered. Postal Ballots received after the aforesaid deadline shall stand rejected. The e-voting portal shall be blocked by CDSL immediately after 05:00 P.M. on Thursday, March 28, 2019.

The Special Resolution, if passed by requisite majority, shall be deemed to have been passed on Thursday, March 28, 2019 i.e. the last date fixed by the Bank for receipt of duly completed Postal Ballot forms and e-voting.

Item No. 1

To create, offer, issue and allot such number of equity shares of face value of Rs.10/- each (Rupees Ten only) at such price including premium, if any, as may be determined in accordance with the relevant Regulations of the SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2018 ("SEBI ICDR Regulations") to the President of India acting on behalf of the Government of India on preferential basis, not exceeding Rs. 2,839 crore in aggregate (hereinafter referred to as **"the Issue"**), by **Special Resolution**.

To consider the following resolution and if deemed fit, pass the same as a **Special Resolution** -

"RESOLVED THAT, subject to the applicable provisions of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 ("Act"), Banking Regulation Act, 1949, as amended from time to time, United Bank of India (Shares & Meetings) Regulations, 2010 ("Bank Regulations"), SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 ("SEBI ICDR Regulations"), SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirement) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") and any amendment thereto or re-enactment thereof, Ministry of Finance letter F. No. 7/23/2019-BOA-1 dated .February 19, 2019 approval by the Board of Directors of the Bank on February 25, 2019 and such approvals, consents, sanctions of the Government of India ("GoI"), Reserve Bank of India ("RBI"), Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), the Stock Exchanges on which the Bank's shares are listed, and/or such other authority as may be required and applicable in this regard, and subject to such terms and conditions and/or modifications thereto as may be prescribed while granting such approvals by such authorities, and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank (**"Board of Directors"** shall include any **"Committee"** constituted or to be constituted by the Board in this regard), such other Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Circulars, Notifications, Directions as may be applicable from time to time or any modification thereto or re-enactment or re-issuance thereof, consent of the Shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors to create, offer, issue and allot to the President of India acting on behalf of the GoI, such number of equity shares of Rs.10/- each at such price as may be determined in accordance with Regulation 164 of Chapter V of the SEBI ICDR Regulations not exceeding Rs. 2,839 cr. (Rupees Two Thousand Eight Hundred Thirty Nine crore) including premium, on preferential basis for cash.

RESOLVED FURTHER THAT, the Relevant Date in terms of Regulation 164 under Chapter V of the SEBI ICDR Regulations for the purpose of determination of the Issue Price is Tuesday, February 26, 2019.

RESOLVED FURTHER THAT, the equity shares to be issued shall rank pari-passu in all respects including dividend with the existing equity shares of the Bank and both the newly issued and the existing shares held by the investor(s) be subject to the lock-in requirements as prescribed under Regulation 167 of Chapter V of the SEBI ICDR Regulations, and the newly issued equity shares be listed on the Stock Exchanges on which the existing equity shares of the Bank are listed.

RESOLVED FURTHER THAT, for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board/ Committee formed or to be formed, be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as it may in its absolute discretion deem fit, proper, necessary, desirable and expedient without being required to seek any further consent or approval of the Shareholders or authorise to the end and intent that the Shareholders shall be deemed

to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution.

RESOLVED FURTHER THAT, the Board of Directors/Committee be and is hereby authorised to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Managing Director & CEO or Executive Director(s) or such other functionary to give effect to the aforesaid Resolution."

By order of the Board of Directors
For **United Bank of India**

Sd/-
Bikramjit Shom
Company Secretary & Compliance Officer

Dated : 25th February, 2019
Place: Kolkata

NOTES AND INSTRUCTIONS

1. The Notice is being sent to all Shareholders whose names appear in the Register of Shareholders of the Bank for those holding shares in physical mode, and in the List of Beneficial Owners as received from National Securities Depository Limited (NSDL) and CDSL for those holding shares in Demat mode, as on Friday, February 22, 2019 (**Cut-off Date**),either by email to the email ids registered with the Depository/ Bank's Registrar and Share Transfer Agent, Link Intime India Pvt. Ltd. ("RTA"), or by Registered Post/Speed Post/Courier at the address registered with the Bank/RTA. The Notice shall also be available on the Bank's website, www.unitedbankofindia.com and on the website of CDSL www.evotingindia.com. A person who is not a Shareholder as on the cut-off date should treat this Notice for information purposes only.

2. Shareholders can opt for any one mode of voting, i.e. either by physical ballot or e-voting. In case, Shareholders cast their votes through both the modes, voting done by e-voting shall prevail and vote cast through physical postal ballot form shall be treated as invalid.

3. Shareholders cannot cast his/her vote by proxy on Postal Ballot.

4. Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) shall send duly completed Postal Ballot Form accompanied by a certified true copy of Board Resolution / Authority Letter etc. with attested specimen signature(s) of the duly authorised signatory(ies) who are authorized to vote, in the enclosed postage prepaid Business Reply Envelope addressed to the Scrutinizer.

 For electronic voting, the shareholders may kindly refer to instruction no. 17 under the section 'e-voting' in this Notice.

5. The cut-off date fixed for eligibility of voting is Friday, February 22, 2019 both for voting by Postal Ballot and e-voting. Each share held by the shareholder as on the cut-off date shall carry one vote.

6. Shareholders holding multiple folios / demat accounts shall choose the voting process separately for each folio/demat account. In terms of Section 3(2E) of the Act, no shareholder other than Government of India is allowed to exercise voting rights in excess of 10% of the total paid up share capital of the Bank.

7. Shareholders casting their votes through Postal Ballot Form should use the Business Reply Envelope (postage paid) annexed to this Notice and duly seal the same before sending it by post. Sealed envelopes containing the Postal Ballot Form shall also be accepted if sent by any other mode e.g. courier, speed post etc. at the expense of the Shareholder. Shareholders receiving this Notice by e-mail desirous of voting in physical Postal Ballot Form may download the said Form from the Bank's website www.unitedbankofindia.com and send the same to the Scrutinizer at Link Intime India Private Limited, Unit : United Bank of India, C-101, 247 Park, L.B.S Marg, Mumbai - 400 083, at their own cost.

8. The consent must be accorded by recording the assent in the column 'I assent to the resolution (For)' or dissent in the column 'I dissent to the resolution (Against)' by placing a tick mark (✓) in the appropriate column in the Postal Ballot Form. The assent or dissent received in any other form shall not be considered valid.

9. The Postal Ballot Form should be signed by the Shareholder as per the specimen signature registered with the RTA.

10. Shareholders are requested to fill the Postal Ballot Form in indelible ink and not by using erasable writing medium(s) like pencil.

11. In case shares are jointly held, the Postal Ballot Form shall be completed and signed by the surviving first joint holder. Holders of Power of Attorney (PoA) may vote on the Postal Ballot Form mentioning the Registration No. of the PoA registered with the Bank/RTA or attach notarized copy of the PoA.

12. Shareholders are requested not to send any document (other than the Board Resolution / Authority Letter as mentioned) along with the completed Postal Ballot Form inside the enclosed Business Reply Envelope addressed to the Scrutinizer. Should any extraneous matter be found in any such envelope, the same shall not be considered and shall be destroyed by the Scrutinizer.

13. There will be only one Postal Ballot Form for each Folio/ Client Id irrespective of the number of joint Shareholder(s).

14. Postal Ballot Forms shall be considered invalid if (i) it is unsigned/ incomplete (ii) Neither assent nor dissent is mentioned (iii) it is not possible to determine beyond any doubt, the assent or dissent of the Member, (iv) a competent authority has given directions in writing to the Bank to freeze the voting rights of the Shareholder, (v) it is defaced or mutilated in such a manner that its identity as a genuine form cannot be established; (vi) the Shareholder has made any amendment to the resolution set out herein or imposed any condition while exercising his vote; and/ or (vii) the form other than the one issued by the Bank is used;

15. The Scrutinizer's decision on the validity of a completed Postal Ballot Form shall be final.

16. Shareholders may request for duplicate Postal Ballot Form, if so required, by sending the request to Bank's **Share Department & Investor Grievances Cell**, 4th Floor, Head Office, 11, Hemanta Basu Sarani, Kolkata - 700001, or by email to investors@unitedbank.co.in. The Duplicate Form duly completed should reach the Scrutinizer not later than 5:00 P.M. on Thursday, March 28, 2019 being the last date for receiving the same.

17. **E-VOTING:**

 The e-voting period shall begin at 10.00 a.m. (IST) on Wednesday, February 27, 2019 and end at 5.00 p.m. (IST) on Thursday, March 28, 2019. During this period shareholders of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date, may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.

 The instructions for shareholders voting electronically are as under:

 i. Log on to the e-voting website www.evotingindia.com

 ii. Click on **"Shareholders / Members"**.

 iii. Enter your **User ID**.

 a) For CDSL: 16 digits beneficiary ID.

 b) For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID.

 c) Members holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Bank.

 iv. Enter the **Image Verification** as displayed and Click on **"Login"**.

 v. If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier voting of any company/entity, then your existing password is to be used.

vi. If you are a first time user follow the steps given below -

Fill up the following details in the appropriate boxes:

For Shareholders holding shares in Demat Form and Physical Form

PAN	Enter your 10 digit alpha-numeric **PAN** issued by Income Tax Department (Applicable to both demat shareholders as well as physical shareholders) • Members who have not updated their PAN with the Bank/Depository Participant are requested to use the **first two letters of their name and the last 8 digits of the sequence number in the PAN field.** • **In case the sequence number is less than 8 digits, shareholders should enter the applicable number of 0's before the number after the first two characters of the name in CAPITAL letters.** E.g. If your name is Ramesh Kumar with sequence number 1 then enter RA00000001 in the PAN field.
Dividend your Bank Details or DOB	Enter the **Dividend Bank Details or Date of Birth** (in dd/mm/yyyy format) as recorded in demat account or in the Bank records in order to login. • If both the details are not recorded with the depository or Bank please enter the member id/ folio number in the Dividend Bank details field as mentioned in instruction (iii).

vii. After entering these details appropriately, click on **"SUBMIT"** tab.

viii. Members holding shares in physical form will then directly reach the Company selection screen. However, members holding shares in demat form will now reach 'Password Creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password shall also be used by the demat holders for voting on the resolutions of any other company/entity they are eligible to vote, provided that company/entity opts for e-voting on the CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

ix. For members holding shares in physical form, the details can be used only for remote e-voting on the resolution contained in this Notice.

x. Click on the **EVSN** of United Bank of India to vote.

xi. On the voting page, you will see **"RESOLUTION DESCRIPTION"** and against the same the option **"YES/NO"** for voting. Select the option **"YES"** or **"NO"** as desired. The option **"YES"** implies that you assent to the Resolution and option **"NO"** implies that you dissent to the Resolution.

xii. Click on the **"RESOLUTIONS FILE LINK"** if you wish to view the entire Resolution.

xiii. After selecting the resolution you have decided to vote on, click on **"SUBMIT"**. A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on **"OK"**, else to change your vote, click on **"CANCEL"** and accordingly modify your vote.

xiv. Once you **"CONFIRM"** your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

xv. You can also take print out of the voting done by clicking on **"Click here to print"** option on the Voting page.

xvi. If Demat account holder has forgotten any change in his login password, then he shall enter the User ID and the image verification code and click on **"Forgot Password"**& enter the details as prompted by the system.

xvii. Login to e-voting website will be disabled upon five unsuccessful attempts to key-in the correct password. In such an event, you will need to go to 'Forgot Password' option available on the website to reset the same.

xviii. Your Login id and existing password can be used by you exclusively for e-voting on the resolution (s) placed by the companies in which you are the shareholder.

xix. Members can also cast their votes using CDSL's mobile app **"m-Voting"**. The m-Voting app can be downloaded from Google Play Store, App Store and the Windows Phone Store for Android, IOS and Windows users respectively.

xx. **Note for Non - Individual Members and Custodians**

- Non-Individual Members (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodian are required to log on to www.evotingindia.com and register themselves as Corporate.
- A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
- After receiving the login details a compliance user should be created using the admin login and password. The Compliance user would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.
- The list of accounts should be mailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.
- A scanned copy of the Board Resolution or Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.

xxi. In case of any issues/ queries regarding e-voting and for generation of login id and password, you may refer to the FAQ and e-voting manual available in the Help Section on **www.evotingindia.com** or you may contact CDSL e-voting helpdesk at **18002005533** or e-mail at **helpdesk.evoting@cdslindia.com** or can contact **Mr. Moloy Biswas**, Regional Head at CDSL at **22 Camac Street, Block A, 1st Floor, Kolkata-700016** or at **helpdesk.evoting@cdslindia.com** or on **9073980266** for redressal.

EXPLANATORY STATEMENT

Background and Object of the Issue:

The Bank is in the business of banking and related activities. Presently, the Authorized Capital of the Bank is Rs. 8500 cr. The Paid-up Equity Share Capital of the Bank as on 31st December, 2018 was Rs.3036.69 cr. with Government of India holding Rs. 2801.49 cr. constituting 92.25% of the total paid-up capital of the Bank.

On 31st December, 2018, the Central Government infused Rs. 2159 cr. in the equity capital of the Bank against which the Bank alloted 1,81,73,40,067 equity shares to the Central Government on 11th February, 2019. Post this allotment the paid up share capital of the Bank stands at Rs. 4854.03 cr. in which Central Government holds Rs. 4618.83 cr. i.e. 95.15%.

This apart, during the current Financial Year, the Bank has so far raised Rs.30.81 cr. by allotting 2,92,02,589 equity shares to the eligible employees of the Bank by implementation of the United Bank of India-Employee Share Purchase Scheme, 2018.

In the last Financial Year, based on Bank's commitment to the reforms agenda for Responsive and Responsible PSBs aimed at Enhanced Access and Service Excellence (EASE) covering customer responsiveness, responsible banking, credit off-take, PSBs as Udyamimitra (aimed at MSME), deepening of financial inclusion and digitization and ensuring outcome (HR) by developing personnel for Brand PSB, the Central Government infused an amount of Rs.2634cr. against preferential allotment of 144,56,64,105 equity shares of Rs.10/- each at a price of Rs. 18.22/- per share including premium.

In view of the Bank's considered decision in line with the recommendations of its promoter to maintain Risk Weighted Assets (RWA) at a reduced level between Rs.58000 cr. and Rs.62000 cr. as on 31.03.2019 in order to conserve capital requirements, and being placed under Prompt Corrective Action (PCA) framework of the RBI, the Bank has brought down its RWA to the level of Rs. 59299 cr. as on December 31, 2018 from Rs.63542 cr. as on March 31, 2018. As a result Bank's loan book remained stagnant at Rs. 69286 cr. vis-a-vis Rs. 68692 cr. as on March 31, 2018 having its consequent bearing on profitability. As per unaudited financial results for the period ended December 31, 2018, the Bank reported Tier-I capital ratio at 7.10% and overall Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) at 9.99% under BASEL-III capital norms against the regulatory benchmark CRAR of 10.875% (including CCB).

In view of the recent developments in the economy as well as the banking sector viz. volatility in the bond yields, continued stress in the power sector, and recent stress in the NBFC sector, in all of which the Bank was having substantial exposures, the higher provisioning requirements on account of references of NPA accounts to NCLT for resolutions under the Insolvency & Bankruptcy Code, 2016, along with migration & fresh slippages, transition to IFRS accounting norms by March 2019, coupon payments on bonds and the need for strengthening the Bank's capital base to support its long term business plans and remain compliant under all parameters of BASEL - III capital norms, the Bank had requested the Central Government to infuse Common Equity capital in the Bank to the tune of Rs. 2800 cr. which would ensure smooth operations as well as provide the impetus for future growth.

In response, the Government of India vide their letter F. No. 7/23/2019-BOA-1 dated February 19, 2019 communicated its intention to infuse capital to the extent of Rs. 2,839 cr. in the Common Equity Capital of the Bank by way of Preferential Allotment, which shall be utilized by the Bank for shoring up its Tier-1 capital and overall CRAR position.

This entire preferential issue is being allotted to Government of India, the Promoter of the Bank, for cash.

As the entire issue is to be made to Government of India, the majority shareholder and promoter of the Bank, there would not be any change in control, subsequent to the issue.

The Issue Price shall be determined in accordance with Regulation 164 under Chapter V of SEBI ICDR Regulations, as amended up to date. The Relevant Date for the purpose of computation of Issue Price is Tuesday, February 26, 2019 (i.e. the date 30 days prior to the date of passing of special resolution). Since the Special Resolution will be passed through postal ballot, the last date specified for receipt of duly completed Postal Ballot Forms or e-voting i.e., Thursday, March 28, 2019 shall be the deemed date of passing of the Resolution. Accordingly, the Issue Price will be computed on the Relevant Date i.e., Tuesday, February 26, 2019 and the same alongwith the number of shares to be allotted will be notified to the shareholders by advertisement in one English, one Bengali and one Hindi newspaper and shall be disseminated to BSE Ltd. and National Stock Exchange of India Ltd. and uploaded on the websites of the Bank and the e-voting Agency i.e. CDSL.

Shareholding Pattern before the Preferential Issue:

Sl. No.	Category	Before the Issue	
		No. of Shares	Shareholding %
A.	**Promoter** Govt. of India	4618836151	95.15
B.	**Non-Promoter** Public Shareholding	235194141	4.85
	Total	**4854030292**	**100.00**

On determination of the Issue Price and the number of shares to be allotted to GoI, the post issue shareholding pattern of the Bank shall also be notified to the shareholders through newspaper advertisement, stock exchange dissemination and by uploading on the websites of the Bank and CDSL.

The Preferential allotment shall be made in accordance with the Chapter V of the SEBI ICDR Regulations.

The Board of Directors vide its approval dated February 25, 2019 approved raising of capital by way of the preferential allotment and conduct of Postal Ballot.

In terms of the Regulation 163(1)(e) and Regulation 170 of the SEBI ICDR Regulations, allotment pursuant to the above stated special resolution shall be completed within a period of 15 (fifteen) days from the date of passing of the Resolution subject to the receipt of the approvals or permissions from all the regulatory authorities and the Central Government. If any approval necessary for the allotment remains pending, the period of fifteen days shall be counted from the date of approval or permission, as the case may be.

The Bank undertakes to re-compute the price of equity shares in terms of the provisions of SEBI ICDR Regulations where it is so required to do. If the amount payable on account of the re-computation of price is not paid within the time stipulated in SEBI ICDR Regulations, the specified securities shall continue to be locked- in till the time such amount is paid by the Central Government.

The entire allotment of equity shares to the Government of India shall be made in dematerialized form.

In accordance with the Regulation 167(6) of SEBI ICDR Regulations, the entire pre-preferential holdings of Government of India shall be locked-in from the Relevant Date up to 6 months from the date of trading

approval for the shares allotted under the present preferential allotment. In terms of Regulation 167(1), the fresh shares allotted to Government of India, subject to a maximum of 20% of the paid-up capital of the Bank shall be locked-in for a period of 3 years from the date of trading approval for the shares allotted under the present preferential allotment and shares allotted beyond 20% of the paid up capital shall be locked in for 1 year from the date of trading approval.

The equity shares of the Bank have been listed for more than twenty six weeks and accordingly, the provisions of Regulation 164(3) and 167(5) of SEBI ICDR Regulations are not applicable.

The Bank's equity shares are frequently traded on the stock exchanges on which they are listed i.e. National Stock Exchange of India Ltd. & BSE Ltd.

The Auditors' Certificate required under Regulation 163(2) of the SEBI ICDR Regulations will be issued on or after the Relevant Date of February 26, 2019 and will be made available for inspection at the Head Office of the Bank at **11, Hemanta Basu Sarani, Kolkata - 700001** between 12:00 P.M. and 04:00 P.M. on all working days up to the date of completion of voting under Postal Ballot. The Auditors' Certificate will also be displayed on the website of the Bank - www.unitedbankofindia.com and on website of CDSL- www.evotingindia.com

All the shares held by the Government of India are in dematerialized form and the Bank is in compliance with the conditions of continuous listing of equity shares as prescribed under SEBI Listing Regulations.

The Government of India has not sold any equity shares of the Bank during the 6 months preceding the Relevant Date.

Neither the Bank, nor any of its Directors or Promoter is a willful defaulter or fugitive economic offender.

In terms of Regulation 41(4) of the SEBI Listing Regulations and Chapter V of SEBI ICDR Regulations, the Bank seeks the approval of the shareholders by way of a Special Resolution for the proposed issue of equity shares to the Government of India on preferential basis.

The proposed Special Resolution, if passed, shall authorise the Board of Directors of the Bank to make the abovementioned issuance and allotment. The aforesaid enabling special resolution is therefore recommended to provide adequate flexibility and discretion to the Board to finalize the terms of the issue. Hence your consent is requested to the above proposal.

None of the Directors or the Key Managerial Personnel of the Bank or their relative is, whether directly or indirectly, concerned or interested, financially or otherwise, in the passing of aforesaid Special Resolution except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank.

Additional Notes:

At present the Central Government, the Promoter of the Bank holds and shall continue to hold equity shares more than 75% of the paid up share capital of the Bank, hence the requirement of making public announcement under SEBI (Substantial acquisition of shares and takeover) Regulation 2011 is not triggered. The Bank expects to bring down the Central Government's holding in due course.

By order of the Board of Directors
For **United Bank of India**

Sd/-
Bikramjit Shom
Company Secretary & Compliance Officer

Dated : 25th February, 2019
Place : Kolkata

सुपुर्द न होने के मामले में कृपया निम्नलिखित पते पर लौटाएँ

मेसर्स. लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लि.

यूनिट : **युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया**

59सी, चौरंगी रोड, कोलकाता - 700020

If undelivered please return to :

M/s. Link Intime India Pvt. Ltd.

(Unit : **United Bank of India**)

59C, Chowringhee Road, Kolkata - 700020

युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया/ **United Bank of India**
प्रधान कार्यालय:11 हेमन्त बसु सरणी, कोलकाता - 700001
Head Office :11, Hemanta Basu Sarani, Kolkata - 700001
दूरभाष /**Telephone**: (033) 2248 7471
फैक्स/ **Fax**: (033) 2231 1704
वेबसाइट/**Website** : www.unitedbankofindia.com

पोस्टल बैलेट फार्म / POSTAL BALLOT FORM

क्रमांक/Sr. No.

एकल / प्रथम शेयरधारक का नाम और पता
Name & Address of Sole/First Shareholder:

संयुक्त शेयरधारक(कों), का/के नाम, यदि कोई हो
Name(s) of Joint Shareholder(s), if any:

पंजीकृत फोलियो सं/ डीपी आईडी एवं क्लाइंट आईडी
Registered Folio No./DP ID-Client ID:

धारित शेयरों की संख्या
Number of Shares held:

मैं/हम एतदद्वारा पोस्टल बैलेट दिनांक 25 फरवरी, 2019 की सूचना में उल्लिखित व्यवसाय पर पोस्टल बैलेट द्वारा पारित होने वाले विशेष संकल्प के संबंध में उक्त संकल्प के अनुरूप मेरी/हमारी सहमति या असहमति प्रकट करने हुए अधोलिखित बॉक्स में चिह्नित (✓) कर, वोट करता हूँ/करते है ।
I/We hereby cast my/our vote in respect of the Special Resolution to be passed by Postal Ballot on the business stated in the Notice for Postal Ballot dated February 25, 2019 by conveying my/our assent or dissent to the said resolution by placing the tick (✓) mark at the appropriate box below:

	विवरण Description	वोट दिए गए शेयरों की सं. No. of Shares for which vote cast	मैं/हम संकल्प की सहमति देता हूँ /देते है (के लिए) I/We assent to the Resolution (For)	मैं/हम संकल्प की असहमति देता हूँ /देते है (विरूद्ध) I/We dissent to the Resolution (Against)
	विशिष्ट/विशेष व्यवसाय/ Special Business			
1.	नकद के लिए अधिमानी आधार पर प्रीमियम सहित इस तरह के मूल्य पर सृजन,प्रस्ताव,जारी एव आबंटन करने हेतु अंकित मूल्य रू. 10/- प्रत्येक (रू.दस मात्र) के इक्विटी शेयरों की इतनी संख्या,यदि कोई हो,तो सेबी के विनियमन (जारी पुँजी प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2018 (सेबी आई सी डी आर विनियम) के अध्याय V के अंतर्गत विनियम 164 के अनुसार भारत सरकार की ओर से राष्ट्रपति को तरजीह के आधार पर रू. 2,839 करोड़ कुल से अधिक नहीं निर्धारित किया जा सकता है ।			
1.	To create, offer, issue and allot to the President of India acting on behalf of the Government of India, such number of equity shares of Rs.10/- each at such price as may be determined in accordance with Regulation 164 under Chapter V of the SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2018 not exceeding Rs. 2,839 cr. (Rupees Two Thousand Eight Hundred Thirty Nine crore) including premium, on preferential basis for cash.			

नामित / एकमात्र शेयरधारक का हस्ताक्षर
Signature of the Sole/First named shareholder

स्थान/**Place:**
दिनांक/**Date:**

नोट / NOTE : कृपया फार्म को भरने से पहले पृष्ठ के दूसरी ओर मुद्रित अनुदेश को पढ़े। संवीक्षक द्वारा पोस्टल बैलेट फॉर्म प्राप्त करने की अंतिम तिथि गरूवार, 28 मार्च, 2019, 05:00 बजे अपराह्न तक है। / Kindly read the instructions printed overleaf before filling up the form. **Last date for receipt of Postal Ballot Forms by the Scrutinizer is Thursday, March 28, 2019 upto 05:00 P.M.**

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग विवरण
ELECTRONIC VOTING PARTICULARS

ईवीएसएन/EVSN	यूजरआईडी/User ID	सीक्वेससं।/ Sequence No.	दिन/माह/वर्ष में डिफॉल्ट जन्म तिथि या लाभांश बैंक ब्योरा (जहां जन्म तिथि पंजीकृत नहीं है)/ / Default DOB in dd/mm/yyyy or Dividend Bank Details (Where DOB is not registered)
190221004			

ई-मतदान बुधवार, 27 फरवरी, 2019 को पूर्वाह्न 10.00 बजे आरंभ होगा e-voting begins on Wednesday, February 27, 2019 at 10.00 A.M.	ई-मतदान गुरूवार, 28 मार्च, 2019 को अपराह्न 05.00 बजे समाप्त होगा e-voting ends on Thursday, March 28, 2019 at 05:00 P.M.

कृपया ई-मतदान ब्यौरा के लिए पोस्टल बैलेट सूचना में बिंदु सं. 17 का उल्लेख करें/Please refer to point no.17 in the Postal Ballot Notice for details on e-voting.

अनुदेश/INSTRUCTIONS

1. पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपने मतदान अधिकारों का प्रयोग करने के इच्छुक शेयरधारक इस पोस्टल बैलेट फॉर्म को पूरा भरें एवं हस्ताक्षरित करें और स्वनामांकित व्यवसाय उत्तर लिफाफा में संवीक्षक को भेजें। डाक व्यय बैंक द्वारा वहन किया जाएगा। पोस्टल बैलेट वाला लिफाफा, अगर शेयरधारक द्वारा अपने व्यय पर संवीक्षक को अन्य तरीकों से भेजा जाता है जैसे कूरियर, पोस्ट, स्पीड पोस्ट तो उसे भी स्वीकार किया जाएगा। / A Shareholder desiring to exercise his/her voting rights through Postal Ballot should complete this Postal Ballot form, sign and send it to the Scrutinizer in the attached self-addressed Business Reply Envelope. Postage cost shall be borne by the Bank. Envelope containing Postal Ballot, if sent by other modes e.g. courier, post, speed post to the Scrutinizer at the expense of the shareholder, shall also be accepted.

2. वैकल्पिक रूप से, पोस्टल बैलेट नोटिस की बिंदु सं. 17 में प्रदान किए गए रिमोट ई-वोटिंग के अनुदेशों के अनुसार सदस्य इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से मतदान कर सकते है। / Alternatively, a Shareholder may vote through electronic mode as per the instructions for e-voting provided in Point No. 17 of the Postal Ballot Notice.

 वोट की पात्रता निर्धारित करने के लिए तय की गई निर्दिष्ट तिथि शुक्रवार, 22 फरवरी, 2019 और पोस्टल बैलेट एवं ई-वोटिंग दोनों द्वारा मतदान के लिए गणना की तारीख होगी। निर्दिष्ट तिथि तक शेयरधारक द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक वोट होगा। / The cut-off date fixed for determining eligibility to vote is Friday, February 22, 2019 and shall be the date reckoned for voting both by Postal Ballot and e-voting. Each share held by the shareholder as on the cut-off date shall carry one vote.

3. स्वनामांकित लिफाफा पर बैंक द्वारा नियुक्त संवीक्षक के पते का व्यवहार किया जाना चाहिए और यही वह पता है जिस पर पोस्टल बैलोट फॉर्म भिन्न तरीके से भेजे जाने चाहिए।/The self-addressed envelope bears the address of the Scrutinizer appointed by the Bank, and that is the address to which the Postal Ballot Forms should be sent otherwise.

4. पोस्टल बैलेट फॉर्म शेयरधारकों द्वारा पूर्ण रूप से भरा एवं हस्ताक्षरित होना चाहिए। संयुक्त शेयरधारक के मामले में, फॉर्म को पहले नामित शेयरधारक द्वारा पूरा और हस्ताक्षरित (बैंक/आरटीए के साथ पंजीकृत नमूना हस्ताक्षर के अनुसार) किया जाना चाहिए ।/ The Postal Ballot form should be completed and signed by the Shareholders. In the case of joint share holding, the form should be completed and signed (as per the specimen signature registered with the Bank/RTA) by the surviving first named shareholder.

5. संस्थागत शेयरधारक (अर्थात व्यक्ति, एचयूएफ, एनआरआई इत्यादि के अलावा), जो वोट करने के लिए अधिकृत है, विधिवत प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के प्रमाणिक नमूना हस्ताक्षर (ओ) के साथ बोर्ड संकल्प / अधिकृत पत्र इत्यादि की एक प्रमाणित सत्य प्रति के साथ विधिवत पूर्ण पोस्टल बैलेट फॉर्म भेजेंगे। /Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) shall send duly completed Postal Ballot Form accompanied by a certified true copy of Board Resolution/ Authority Letter etc. with attested specimen signature(s) of the duly authorised signatory(ies) who are authorized to vote.

6. पावर ऑफ अटॉर्नी (पीओए) के धारक पोस्टल बैलेट फॉर्म पर बैंक / आरटीए के साथ पंजीकृत पीओए की पंजीकरण संख्या का उल्लेख या पीओए के नोटरी की प्रति संलग्न कर मतदान करें।/ Holders of Power of Attorney (PoA) shall vote on the Postal Ballot Form mentioning the Registration No. of the PoA registered with the Bank/RTA or attach notarized copy of the PoA.

7. **प्रॉक्सी के माध्यम से पोस्टल बैलेट द्वारा मतदान के अधिकार का प्रयोग नहीं किया जाएगा। /The right of voting by Postal Ballot shall not be exercised by a Proxy.**

8. "मैं/हम संकल्प की सहमति देता हूँ /देते है (के लिए)" के कॉलम में सहमति या "मैं/हम संकल्प की असहमति देता हूँ /देते है (विरूद्ध)" के कॉलम में असहमति (✓) चिह्न टेकर प्रदान करें। किसी अन्य रूप में दी गई सहमति या असहमति को मान्य नहीं माना जाएगा। / The consent must be accorded by recording the assent in the column 'I / We assent to the resolution (For)' or dissent in the column 'I / We dissent to the resolution (Against)' by placing a tick mark (✓) in the appropriate column in the Postal Ballot Form. The assent or dissent received in any other form shall not be considered valid.

9. विधिवत पूर्ण पोस्टल बैलेट फॉर्म संवीक्षक के पास गुरूवार, 28 मार्च, 2019 को 05.00 बजे अपराह्न तक पहुंच जाना चाहिए । कोई भी पोस्टल बैलेट फार्म उल्लिखित समय और तारीख के बाद प्राप्त होने पर खारिज कर दिया जाएगा।/ Duly completed Postal Ballot Forms should reach the Scrutinizer not later than 05:00 P.M. on Thursday, March 28, 2019. Any Postal Ballot Form received after the said time and date shall stand rejected.

10. शेयरधारक के वोट को निम्न में से किसी भी आधार पर अमान्य माना जाएगा यदि/ The vote of a shareholder shall be considered invalid on any of the following grounds if:

 i. पोस्टल बैलेट फॉर्म को शेयरधारक द्वारा या उसके ओर से हस्ताक्षरित नहीं किया गया है/ the Postal Ballot form has not been signed by or on behalf of the shareholder;

 ii. शेयरधारक का हस्ताक्षर बैंक/आरटीए के साथ पंजीकृत नमूना हस्ताक्षर के साथ मेल नहीं खाता है/ the shareholder's signature does not tally with the specimen signature registered with the Bank/RTA;

 iii. शेयरधारक ने संकल्प के लिए 'सहमति' और 'असहमति' हेतु इस तरह से वोट दिया है कि शेयर धारित के कुल संख्या से 'सहमति' और 'असहमति' के लिए कुल शेयर मतदान की संख्या से अधिक है।/ the shareholder has marked his / her / its vote both for `Assent' and also for `Dissent' to the `Resolution' in such a manner that the aggregate shares voted for `Assent' and `Dissent' exceeds total number of shares held;

 iv. न तो सहमति और न ही असहमति का उल्लेख किया गया है/ Neither assent nor dissent is mentioned

 v. शेयरधारक ने अपने वोट का उपयोग करते समय संकल्प में कोई संशोधन किया है या किसी शर्त को लगाया है/ the shareholder has made any amendment to the resolution or imposed any condition while exercising his vote.

 vi. पोस्टल बैलेट फॉर्म अधूरा या गलत भरा हुआ है / the Postal Ballot Form is incomplete or incorrectly filled;

 vii. पोस्टल बैलेट फॉर्म फटा या विकृत या खराब प्राप्त हुआ है जिससे संवीक्षक के लिए शेयरधारक या वोटों की संख्या, या वोट 'सहमति' या 'असहमति' या यदि हस्ताक्षर सत्यापित नहीं किया जा सका, या उपर्युक्त आधारों में से एक या अधिक/ the Postal Ballot Form is received torn or defaced or mutilated such that it is difficult for the Scrutinizer to identify either the shareholder or the number of votes, or whether the votes are for `Assent' or `Dissent', or if the signature could not be verified, or one or more of the above grounds;

 viii. बैंक द्वारा जारी किए गए फॉर्म के अलावा अन्य फॉर्म का उपयोग किया जाता है / the form other than the one issued by the Bank is used;

 ix. इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से पहले ही मतदान किया गया हो/ voting already done through electronic mode;

 x. सक्षम प्राधिकारी ने शेयरधारक के मतदान अधिकारों को फ्रीज करने के लिए बैंक को लिखित में निर्देश दिया हो /a competent authority has given directions in writing to the Bank to freeze the voting rights of the Shareholder.

11. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे पोस्टल बैलेट फॉर्म को अमिट स्याही से भरें और पेंसिल जैसे मिटाने योग्य लेखन माध्यमों का उपयोग न करें।/ Shareholders are requested to fill the Postal Ballot Form in indelible ink and avoid using erasable writing medium(s) like pencil.

12. यदि आवश्यक हो तो, शेयरधारक डुप्लिकेट पोस्टल बैलेट फॉर्म के लिए अनुरोध कर सकता है। हालांकि, विधिवत भरा डुप्लिकेट पोस्टल बैलेट फॉर्म, विधिवत पूर्ण पोस्टल बैलेट फार्म की प्राप्ति के लिए निर्धारित अंतिम तिथि और समय से पहले संवीक्षक के पास पहुंच जाना चाहिए।/ Shareholder may request for a duplicate Postal Ballot Form, if so required. However, the duly filled in duplicate Postal Ballot Form should reach the Scrutinizer not later than the last date and time fixed for receipt of duly completed Postal Ballot Form.

13. बैंकिंग कंपनी (उपक्रम का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2 इ) के प्रावधानों के अधीन, शेयरधारक के नाम पर पंजीकृत शेयरों की संख्या पर मतदान अधिकारों की गणना, शुक्रवार, 22 फरवरी, 2019 पर की जाएगी, जो कि इस उद्देश्य के लिए निर्धारित निर्दिष्ट तारीख है। /Voting rights will be reckoned on the number of shares registered in the name of the Shareholder on Friday, Febrary 22, 2019, which is the cut-off date fixed for this purpose, subject to the provisions of Section 3(2E) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970.

14. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे संलग्न स्वयं संबोधित पोस्टेज प्रीपेड लिफाफा में बैलेट फॉर्म के साथ अन्य कोई दस्तावेज न भेजें। लिफाफे में पाए जाने वाले अनावश्यक / अतिरिक्त दस्तावेज को बिना किसी संदर्भ के संवीक्षक द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा।/ Shareholders are requested not to send any other paper along with the Postal Ballot Form in the enclosed self-addressed postage pre-paid envelope. Unnecessary/extra paper if found in the envelope would be destroyed by the Scrutinizer without referring to the same.

15. संयुक्त शेयरधारक की संख्या के बावजूद प्रत्येक फोलियो के लिए केवल एक पोस्टल बैलोट फॉर्म होगा।/There will be only one Postal Ballot Form for every folio irrespective of the number of joint Shareholder(s).

16. शेयरधारक को सभी वोटों का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है और न ही उन्हें सभी वोटों को एक ही तरह डालने की जरूरत है।/ Shareholder need not use all the votes nor does he need to cast all the votes in the same way.

17. पोस्टल बैलेट की वैधता पर संवीक्षक का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।/ The Scrutinizer's decision on the validity of a Postal Ballot will be final and binding.

18. संकल्प, यदि अपेक्षित बहुमत से अनुमोदित किया गया है, तो उसे गुरूवार, 28 मार्च, 2019, को पारित किया जाएगा, अर्थात विधिवत पूर्ण पोस्टल बैलेट फॉर्म या ई-वोटिंग प्राप्ति के लिए निर्दिष्ट अंतिम तिथि। / Resolution, if approved by the requisite majority, shall be deemed to have been passed on Thursday, March 28, 2019, i.e., the last date specified for receipt of duly completed Postal Ballot Forms or e-voting.

19. पोस्टल बैलेट का नतीजा प्रबंध निदेशक और सीईओ द्वारा या उनके अनुपस्थिति में बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अधिकृत किसी भी अधिकारी किसी भी पूर्णकालिक निदेशक द्वारा शनिवार, 30 मार्च, 2019 को अपराह्न 05.00 बजे, या पहले, बैंक के प्रधान कार्यालय में, घोषित किया जाएगा और स्टॉक एक्सचेंजों में प्रसारित करने के साथ-साथ बैंक के वेबसाइट **www.unitedbankofindia.com** और सीडीएसएल के वेबसाइट **www.evotingindia.com** पर प्रदर्शित किया जाएगा ।/ The result of Postal Ballot shall be declared by the Managing Director& CEO or in his absence by any of the Wholetime Directors of the Bank as authorized by the Board of Directors on or before 5.00 pm, Saturday, March 30, 2019, at the Bank's Head Office and displayed on the websites of the Bank **www.unitedbankofindia.com** and CDSL **www.evotingindia.com** beside being disseminated to the Stock Exchanges.

UNITED BANK OF INDIA
Head Office
11, HemantaBasuSarani
Kolkata – 700001
Tel: 033 22487471; E-mail: investors@unitedbank.co.in

Addendum to the Postal Ballot Notice dated February 25, 2019:

In continuation to the disclosures made in the Explanatory Statement on the proposed Special Resolution for the creation, offering, issuance and allotment of equity shares to the President of India acting on behalf of the Government of India on preferential basis aggregating up to Rs.2839 crore being the contribution of the Central Government in the Equity Capital of the Bank, as contained in the Notice for Postal Ballot dated February 25, 2019 dispatched to the shareholders, the following additional disclosures in terms of Chapter V of the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 ('SEBI ICDR Regulations'), are made hereunder for the information of the shareholders:

1. The issue price calculated as on the Relevant Date i.e. February 26, 2019 in terms of the provisions of Regulation 164 of the SEBI ICDR Regulations is Rs.11.03/- per equity share (including premium of Rs.1.03/- per share);

2. At the above issue price, Bank would be allotting up to 2,57,38,89,392 equity shares of Face Value of Rs.10/- each to the President of India acting on behalf of the Government of India. The shareholding pattern of the Bank pre and post the proposed Preferential Allotment, would be as follows –

Sl. No.	Category	Before the Issue		After the Issue	
		No. of Shares held as on 25.02.2019	Shareholding %	No. of Shares	Shareholding %
A.	Promoter	4618836151	95.15	7192725543	96.83
B.	Non-Promoter	235194141	4.85	235194141	3.17
	Total	**4854030292**	**100.00**	**7427919684**	**100.00**

This notice is also hosted on Bank's website www.unitedbankofindia.com, uploaded on the website of Central Depository Services (India) Ltd. i.e. the e-voting agency www.evotingindia.com and disseminated through the websites of the Stock Exchanges i.e. www.nseindia.com and www.bseindia.com.

By order of the Board of Directors
For United Bank of India

Head Office

Bikramjit Shom
Company Secretary & Compliance Officer

February 26, 2019, Kolkata